राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर
ई–मेलःadpension.sje@rajasthan.gov.in दूरभाषः 0141– 2740637

क्रमांकः एफ 09 (05)(12–III) सासुपे नियम/साध्याअवि/2018–19/8432

जयपुर दिनांकः- 05.06.24

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम –2024 निम्नानुसार जारी किया जाता हैः–

(विद्यमान प्रावधान)	(नवीन प्रावधान)
अध्याय 1	अध्याय 1
नियम–2. परिभाषाएं	नियम–2. परिभाषाएं
(i) **"सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक पेंशन"** से अभिप्रेत है राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम, 2019 के अधीन स्वीकृत की जावे।	(i) **"सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक पेंशन"** से अभिप्रेत है राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम, 2019 के अधीन स्वीकृत की जावे।
(ii) **"लघु कृषक"** से अभिप्रेत है कि राजस्थान के ऐसे कृषक परिवारों के सदस्य, जो राज्य में प्रभावी एवं प्रचलित विधिक परिभाषा के अनुसार लघु कृषक की श्रेणी में हो।	(ii) **"लघु कृषक"** से अभिप्रेत है कि राजस्थान के ऐसे कृषक परिवारों के सदस्य, जो राज्य में प्रभावी एवं प्रचलित विधिक परिभाषा के अनुसार लघु कृषक की श्रेणी में हो।
(iii) **"सीमान्त कृषक"** से अभिप्रेत है कि राजस्थान के ऐसे कृषक परिवारों के सदस्य जो राज्य में प्रभावी एवं प्रचलित विधिक परिभाषा के अनुसार सीमान्त कृषक की श्रेणी में हो।	(iii) **"सीमान्त कृषक"** से अभिप्रेत है कि राजस्थान के ऐसे कृषक परिवारों के सदस्य जो राज्य में प्रभावी एवं प्रचलित विधिक परिभाषा के अनुसार सीमान्त कृषक की श्रेणी में हो।
(iv) **"वृद्धजन कृषक परिवार"** से अभिप्रेत है कि लघु एवं सीमान्त श्रेणी के परिवारों की 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो।	(iv) **"वृद्धजन कृषक परिवार"** से अभिप्रेत है कि लघु एवं सीमान्त श्रेणी के परिवारों की 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो।
(v) **"मूल निवासी"** से अभिप्रेत है जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो।	(v) **"मूल निवासी"** से अभिप्रेत है जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो।
(vi) राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम, 2019 के अन्तर्गत **"आय"** की शर्त लागू नहीं होगी।	(vi) राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम, 2019 के अन्तर्गत **"आय"** की शर्त लागू नहीं होगी।
(vii) **"पेंशन राशि"** से अभिप्रेत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन के तहत स्वीकृत मासिक	(vii) **"पेंशन राशि"** से अभिप्रेत सरकार द्वारा योजनावार प्रतिमाह देय राशि है जिसके बारे में समय समय पर सरकार

RajKaj Ref 772181

Scanned with OKEN Scanner

भुगतान राशि से है जो निम्नानुसार है:–

(i) 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रुपये 750 प्रति माह

(ii) 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रुपये 1000 प्रति माह

(viii) **"जांच अधिकारी"** ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनों के लिए संबंधित तहसीलदार/ अति. तहसीलदार/ नायब तहसीलदार तथा शहरी क्षेत्र के आवेदनों के लिए संबंधित नगर निकाय में पदस्थापित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ आयुक्त/ अधिशाषी अधिकारी, जांच अधिकारी होगें।

(ix) **"स्वीकृतिकर्ता अधिकारी"** सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण–पत्र के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के आवेदनों की स्वीकृति हेतु संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र के आवेदकों के आवेदनों की स्वीकृति हेतु संबंधित उपखण्ड के उपखण्ड अधिकारी, स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी होगें।

(x) **"पेंशन आहरण एवं वितरण अधिकारी"** से सम्बन्धित कोष/उप कोष कार्यालय के कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी (पेंशन भुगतान अधिकारी)/उप कोषाधिकारी (सहायक पेंशन द्वारा आदेश जारी किए गए हो।

(परिपत्र क्रमांक फ.9(5)(12–II)सासुपे नियम/सान्यअवि /2021–22/7085 दिनांक 14.03.24)

वृद्धावस्था पेंशन

1. 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रु. 1150/– प्रतिमाह
2. 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रु. 1150/– प्रतिमाह

पेंशन राशि व पेंशन राशि में वृद्धि से अभिप्रेरित है– राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023 के अध्याय–4 (7)(2) में उल्लेखित है कि संदाय पेंशन में वित्तीय वर्ष 2024–25 से आरंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में **आधार दर पर पन्द्रह प्रतिशत** प्रतिवर्ष की दर से दो किस्तों में अर्थात जुलाई में पांच प्रतिशत और जनवरी में दस प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

नई पेंशन स्वीकृति की स्थिति में पेंशन स्वीकृत की दिनांक से न्यूनतम बारह माह पूर्ण होने से पूर्व ऐसे पेंशनर्स को पेंशन राशि में वृद्धि अनुमत नहीं है।

परन्तु यदि प्रार्थी राजस्थान सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/स्थानीय निधि या किसी कानूनी निकाय, निगम, प्राइवेट निकाय/संस्था या अन्य स्त्रोत से पेंशन, निर्वाह भत्ता या अन्य कोई लाभ प्राप्त कर रहा हो तो वह उक्त वर्णित पेंशन या पूर्व में प्राप्त लाभ में से जो भी लाभदायक हो, पाने का अधिकारी होगा।

(viii) **"जांच अधिकारी"** ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनों के लिए संबंधित तहसीलदार/ अति. तहसीलदार/ नायब तहसीलदार तथा शहरी क्षेत्र के आवेदनों के लिए संबंधित नगर निकाय में पदस्थापित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ आयुक्त/ अधिशाषी अधिकारी, जांच अधिकारी होगें।

(ix) **"स्वीकृतिकर्ता अधिकारी"** सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण–पत्र के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के आवेदनों की स्वीकृति हेतु संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र के आवेदकों के आवेदनों की स्वीकृति हेतु संबंधित उपखण्ड के उपखण्ड अधिकारी,

RajKaj Seva
7721815

Scanned with OKEN Scanner

भुगतान अधिकारी)/अभिप्रेत है।

(xi) **"जिला पेंशन स्वीकृति एवं वितरण अधिकारी"** से सम्बन्धित जिले का जिला कलेक्टर अभिप्रेत है।

(xii) **"अपील अधिकारी"** से अभिप्रेत है जिला कलक्टर या उनका प्रतिनिधि जो कि अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहरी क्षेत्र के लिए)/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) से कम स्तर का नहीं हो।

स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी होगें।

(ix) **"पेंशन आहरण एवं वितरण अधिकारी"** से तात्पर्य निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर में पदस्थापित अतिरिक्त निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय) अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर के अन्य प्राधिकारी से है।

(x) **"जिला पेंशन स्वीकृति अधिकारी"** से सम्बन्धित जिले का जिला कलक्टर अभिप्रेत है।

(xi) **"अपील अधिकारी"** से अभिप्रेत है जिला कलक्टर या उनका प्रतिनिधि जो अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहरी क्षेत्र के लिए)/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) से कम स्तर का नहीं हो।

(xii) **"पेंशन पोर्टल"** से अभिप्रेत विभाग द्वारा संचालित किया जाने वाला ऑनलाइन पोर्टल (http://SSP.Rajasthan.gov.in) से है।

(xiii) **"मेटा डेटा"** से अभिप्रेत राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाले **जनआधार पोर्टल पर परिवार के विभिन्न सदस्यों के सत्यापित डेटा** से है जिसके आधार पर पेंशन योजना के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा एवं भविष्य में जनआधार पोर्टल पर संशोधन के उपरान्त पेंशन पोर्टल पर डाटा स्वतः ही अपडेट होगा। पेंशन पोर्टल पर आवेदक द्वारा सीधे ही किसी प्रकार का अपडेशन नहीं किया जाएगा।

(xiv) **"ई–मित्र कियोस्क"** से अभिप्रेत राज्य सरकार के माध्यम से संचालित किए जाने वाले कॉमन सर्विस सेन्टर है जिनके माध्यम से पेंशन योजनाओं के आवेदक निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर

RajKaj Ref
7721

Scanned with OKEN Scanner

सकते हैं तथा अन्य सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।

(xv) **"एसएसओ आईडी"** से अभिप्रेत राज्य सरकार द्वारा संचालित एसएसओ पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर आईडी बना कर राज्य सरकार द्वारा अनुमत होने पर उसके माध्यम से पेंशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से है।

(xvi) **"जनआधार क्रमांक"** से अभिप्रेत जनआधार पोर्टल पर परिवार के पंजीकरण के उपरान्त जारी किए जाने वाले परिवार के क्रमांक से है। इसके माध्यम से पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

(xvii) **"आधार क्रमांक"** से अभिप्रेत भारत सरकार के माध्यम से जारी किए जाने वाले व्यक्तिगत क्रमांक से है। इसके माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन के उपरान्त ही पेंशन योजनाओं के लिए किसी आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(xviii) **"पोस्ट ऑडिट"** से अभिप्रेत उस प्रक्रिया से है जिसमें ऑनलाइन प्राप्त स्वतः स्वीकृत आवेदन पत्रों में से कुछ आवेदन पत्रों को संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को प्रदर्शित किया जाएगा, उनके द्वारा ऐसे आवेदकों की जांच कर यह सत्यापित करना होगा कि आवेदक का जनआधार पोर्टल से प्राप्त विवरण सही है अथवा नहीं। यदि वह विवरण सही नहीं है और आवेदक पेंशन का पात्र नहीं है तो ऐसे आवेदन पत्रों को संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त किया जाकर नियमानुसार भुगतान की गई राशि की वसूली की कार्यवाही करनी होगी। (परिपत्र क्रमांक प.9(5)(12–II)सासुपे नियम/सान्यअवि/2021–22/64 दिनांक 29.7.22)

RajKaj Ref
7721815

Scanned with OKEN Scanner

	(xix) **"स्वतः स्वीकृति (Auto Approval)"** से तात्पर्य ऐसे समस्त आवेदक जिनके द्वारा 2 अक्टूबर, 2021 के पश्चात् जनआधार पोर्टल पर आयु, बैंक विवरण आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करवाया गया है उनके आवेदन पत्रों को स्वतः स्वीकृत किया जाएगा।(परिपत्र क्रमांक प.9(5)(12–II)सासुपे नियम/सान्यअवि/ 2021–22/ 64 दिनांक 29.7.22) (xix) **"डीम्ड एप्रुवल (Deemed Approval)"** से तात्पर्य ऐसे पेंशन आवेदनों की अस्थाई स्वीकृति से है, जिनका भुगतान प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा जिनकी पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा 15 दिवस की अवधि में स्थाई स्वीकृति अथवा अस्वीकृति जारी की जाएगी। (परिपत्र क्रमांक प.9(5)(12–II)सासुपे नियम/सान्यअवि/ 2021–22/64 दिनांक 29.7.22)
<u>**अध्याय 2**</u> **नियम–3 – लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन** **नियम – 3 पात्रता** लघु एवं सीमान्त श्रेणी के परिवारों की 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, जब तक कि नियमों में अन्यथा स्पष्ट एवं विशिष्ट प्रावधान नहीं हो, इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र होगा लघु एवं सीमान्त कृषक श्रेणी हेतु भूमि धारण प्रमाण पत्र कृषक द्वारा प्रारूप कृषक पेंशन–I (K.P.-I) का भाग II में आवेदन के साथ पूर्ति कर प्रस्तुत किया जावेगा। जो राजस्व विभाग के तहसीलदार/ अतिरिक्त तहसीलदार/ नायब तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जाना होगा। पात्रता के उपनियम 1 से 3 में पात्रता रखते हुए भी प्रार्थी स्वयं अथवा पति अथवा पत्नी अथवा पुत्र की केन्द्र सरकार / राजस्थान सरकार /अन्य राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में कार्यरत हो अथवा उनका पेंशनर हो, तो उक्त नियमों के अन्तर्गत पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा। इन नियमों में कोई आवेदक पेंशन की पात्रता	<u>**अध्याय 2**</u> **लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन** **नियम – 3 पात्रता** लघु एवं सीमान्त श्रेणी के परिवारों की 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, जब तक कि नियमों में अन्यथा स्पष्ट एवं विशिष्ट प्रावधान नहीं हो, इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र होगा पेंशन की पात्रता रखते हुए भी प्रार्थी स्वयं अथवा पति अथवा पत्नी अथवा पुत्र की केन्द्र सरकार / राजस्थान सरकार /अन्य राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में कार्यरत हो अथवा उनका पेंशनर हो, तो उक्त नियमों के अन्तर्गत पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा। इन नियमों में कोई आवेदक पेंशन की पात्रता रखते हुए भी, यदि प्रार्थी राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013, के नियमों के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हो, इन नियमों के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। 7721815

Scanned with OKEN Scanner

रेखते हुए भी, यदि प्रार्थी राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013, के नियमों के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हो, इन नियमों के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।

अध्याय – 3
लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन हेतु आवेदन, स्वीकृति, सत्यापन, अपील एवं पुनरीक्षण की प्रक्रिया

नियम 4. आवेदन देने एवं पेंशन स्वीकार करने की प्रक्रिया :–

(i) आवेदक को किसी भी ई–मित्र कियोस्क/**अटल सेवा केन्द्र** या स्वयं के SSO (Single Sign On) ID के माध्यम से निर्धारित प्रारूप कृषक पेंशन–I (K.P.-I) में www.rajssp.raj.nic.in पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदक को प्रारूप कृषक पेंशन–I (K.P.-I) का भाग–II में भूमि धारण प्रमाण–पत्र देना होगा। भूमि धारण प्रमाण–पत्र का ऑनलाईन सत्यापन संबंधित तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र मे किया जायेगा। आवेदक को भामाशाह कमांक एवं आधार क्रमांक उपलब्ध कराना/भरना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार्य नही होगा। भामाशाह एवं आधार कार्ड क्रमांक में अंकित आवेदक को व्यक्तिगत विवरण फिंगर प्रिन्ट प्रमाणीकरण/वन टाईम पासवर्ड (OTP) के पश्चात निर्धारित पेंशन आवेदन पत्र में स्वतः ही अंकित हो जायेगा, इसके अतिरिक्त अन्य वांछित विवरण आवेदन पत्र में अंकित करने के पश्चात आवेदन पत्र को वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत (Submit) करने पर आवेदन पत्र स्वतः ही सम्बन्धित जांच अधिकारी को अग्रेषित हो जायेगा। आवेदन पत्र को जांच अधिकारी को अग्रेषित किये जाने की सूचना आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड कराये गये मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. (SMS) द्वारा दी जायेगी।

(ii) विहित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा हुआ ऑनलाईन

अध्याय – 3
लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन हेतु आवेदन, स्वीकृति, सत्यापन, अपील एवं पुनरीक्षण की प्रक्रिया

लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक पेंशन हेतु आवेदन स्वीकृति, सत्यापन, अपील एवं पुनरीक्षण की प्रक्रिया (परिपत्र संख्या एफ.09 (05) (12–II) सासुपे नियम/सान्याअवि/ 2021–22/ 4542 दिनांक 1.10.2021; परिपत्र संख्या एफ.09 (05) (12–II) सासुपे नियम/सान्याअवि/ 2021–22/ 64 दिनांक 29.07.2021 एवं **मोबाइल एप्प संबंधी परिपत्र** एफ. 9(5)(14)पेंशन पोर्टल/सान्यअवि/ 2021–22/3554 दिनांक 28.4.23)

नियम–4 <u>आवेदन प्रस्तुत करने एवं पेंशन स्वीकृत करने की ऑन–लाइन प्रक्रिया</u>

4.1 आवेदक को किसी भी ई–मित्र कियोस्क/राजीव गांधी सेवा केन्द्र/**मोबाईल ऐप के माध्यम से पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन** फॉर्म में आवेदन करना होगा। आवेदक को जन आधार क्रमांक को उपलब्ध कराना/भरना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। जन आधार कार्ड में अंकित आवेदक का व्यक्तिगत विवरण, आवेदक के जनआधार से जुडे आधार कार्ड से बायोमैट्रिक सत्यापन के पश्चात पेंशन आवेदन पत्र में स्वतः ही अंकित हो जायेगा। उक्त आवेदन पत्र को वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत (Submit) करना होगा। आवेदन पत्र के स्वीकृति की सूचना आवेदक द्वारा जन आधार कार्ड के साथ उपलब्ध करवाए गए मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. (SMS) द्वारा दी जायेगी।

4.2 उक्त प्रक्रिया के तहत प्राप्त विभिन्न आवेदन पत्र सत्यापनकर्ता अधिकारी को अग्रेषित हो जायेंगे ऐसे आवेदन पत्रों को सत्यापन कर्ता

RajKajSingh 7721815

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर, जांच अधिकारी के स्तर पर रजिस्टर कृषक पेंशन–II (K.P.-II) के प्रारूप में रिपोर्ट ऑनलाईन सम्बन्धित जांच अधिकारी के लॉगिन–इन पर प्रदर्शित होगी।

(iii) जांच अधिकारी उक्त आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये गये भूमि धारण प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तावेजों/सूचनाओं के आधार पर आवेदक की जन्म तिथि, आयु अधिवास, निवास स्थान एवं नियमों में वर्णित अन्य पात्रता की जांच करेगा। भूमि धारण प्रमाण–पत्र कृषक पेंशन–I (K.P.-I) का भाग II का सत्यापन करने के साथ–साथ यह सुनिश्चित किया जायेगा की उसने पूर्व में पेंशन के लिए कोई आवेदन नही किया था और न ही उसका कोई आवेदन पत्र अस्वीकार ही किया गया था। जांच अधिकारी आवेदन पत्र की जांच एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण करने के पश्चात अपनी सिफारिश प्रारूप कृषक पेंशन–I (K.P.-I) के भाग III के साथ स्वीकृतकर्ता अधिकारी (सम्बन्धित विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) को वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रेषित करेगा।

(iv) जांच अधिकारी द्वारा सत्यापन आवश्यक रूप से आवेदन–पत्र की प्राप्ति के अधिकतम 30 दिवस की कालावधि के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक होगा। जांचकर्ता अधिकारी को आवेदन अग्रेषण के 21 दिवस पश्चात एस.एम.एस द्वारा पेंशन प्रकरण जांच पूर्ण करने हेतु सूचित किया जायेगा तथा जांच अवधि समाप्त होने पर आवेदन स्वतः ही सत्यापित होकर स्वीकृत कर्ता अधिकारी को अग्रेषित हो जायेगा जिसकी पात्रता संबंधित समस्त जिम्मेदारी जांच अधिकारी की होगी।

(v) ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी प्रत्येक आवेदन पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात पेंशन की स्वीकृति या दावे की अस्वीकृति सम्बन्धी अनुमोदन प्रारूप कृषक पेंशन–I (K.P.-I) का भाग–IV में जारी कर प्रारूप कृषक पेंशन–III (K.P.-III) में पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान आदेश जारी करेगा। यह पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान का आदेश वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन अधिकारी सत्यापित अथवा निरस्त करना होगा। यदि **30 दिनों** में उनके द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को सत्यापित अथवा निरस्त नहीं किया जाता है तो ऐसे आवेदन स्वतः सत्यापित हो कर स्वीकृति कर्ता अधिकारी को अग्रेषित हो जाएगें।

स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को आगामी 15 दिनों में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाना होगा, अन्यथा ऐसे आवेदन स्वतः स्वीकृत हो जाएगें। **स्वतः स्वीकृत आवेदनों का भुगतान तब तक प्रारम्भ नहीं होगा जब तक कि पेंशन स्वीकृति कर्ता अधिकारी द्वारा पोस्ट ऑडिट का कार्य पूर्ण नहीं कर लिया जाता है। यदि पेंशन स्वीकृति के 45 दिनों में पोस्ट ऑडिट संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा नहीं की जाती है तो पेंशनर को पेंशन राशि का भुगतान पेंशन स्वीकृति की दिनांक से प्रारम्भ कर दिया जाएगा। भविष्य में यदि ऐसा पेंशनर किसी कारण से अपात्र पाया जाता है तो इसके लिए संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होगें। ऑनलाईन स्वीकृत होने वाले आवेदन पत्रों के सन्दर्भ में एक सिस्टम जनरेटेड स्वीकृति आदेश पेंशनर के जनाधार से जुड़े ई–वॉल्ट पर उपलब्ध होगा।**

4.3 **ऑनलाईन पेंशन स्वीकृति आदेश को ही पेंशन भुगतान आदेश माना जायेगा। उक्त पेंशन भुगतान आदेश को पेंशनर के जनआधार पर ई–वॉल्ट में संधारित किया जाएगा, जिसे पेंशनर के द्वारा किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाईन पेंशन स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी– अतिरिक्त निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय), निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर द्वारा पेंशन भुगतान करने की कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी। पेंशन भुगतान आदेश जारी किये जाने अथवा पोस्ट ऑडिट पूर्ण होने (दोनों में से जो भी बाद में हो) पर पेंशनर को पेंशन भुगतान से सम्बन्धित कार्य राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम–2011 के तहत 30 दिवस की अवधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक है।**

RajKaj Ref
7721815

Scanned with OKEN Scanner

डिजीटल हस्ताक्षर अथवा आधार आधारित ई–हस्ताक्षर द्वारा सम्बन्धित कोषाधिकारी के नाम जारी किये जायेगे। पेंशन दावा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होने की स्थिति मे स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर में आवेदक को उनके रजिस्टर्ड मोबाईल पर एस.एम.एस. (SMS) द्वारा सूचना प्रेषित की जायेगी। पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऑनलाईन स्वीकृति आदेश जारी किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदक को पेंशन की स्वीकृति नियमानुसार ही जारी की गई है। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऑनलाईन स्वीकृति जारी करने हेतु यूजर लॉगिन या पासवर्ड का स्वयं उपयोग किया जायेगा तथा पासवर्ड किसी के साथ साझा नही किया जायेगा। यदि यूजर लॉगिन या पासवर्ड का दुरूपयोग होता है तो पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगा। पेंशनर एवं जांच अधिकारी को जारी की जाने वाली हार्डकॉपी ऑनलाईन जारी स्वीकृति के अनुरूप होनी चाहिये। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नही होना चाहिए। ऑनलाईन जारी स्वीकृति के आदेशों के सम्पूर्ण तथ्यों एवं उसके नियमानुसार शुद्धता का सम्पूर्ण दायित्व पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी का है।

पेंशन दावा स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से सम्बन्धित कार्य 15 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना होगा।

(vi) ऑनलाईन पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान आदेश प्राप्त होने पर सम्बन्धित जिला कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी द्वारा पेंशन भुगतान करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी। पेंशन भुगतान आदेश जारी किये जाने एवं पेंशनर को पेंशन भुगतान से सम्बन्धित कार्य 30 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना होगा।

जांच अधिकारी, स्वीकृतकर्ता अधिकारी एवं पेंशन भुगतान अधिकारी द्वारा उपरोक्त वर्णित समयावधि में कार्य पूर्ण नही किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी

नियम 5 –पेंशन स्वीकृति

5.1 **किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन पेंशन गुणावगुण के आधार पर देय होगी। उक्त सिस्टम आधारित स्वीकृत प्रकरणों को स्वीकृतिकर्ता अधिकारी पोस्ट ऑडिट के दौरान यदि उचित नहीं मानता है, उसमें निरस्तीकरण का कारण अभिलिखित करते हुए निरस्त करना होगा तथा जिन प्रकरणों में स्वीकृत पेंशन को निरस्त करने का निर्णय लिया जाता है, उसमें संबंधित व्यक्ति**

RajKaj Ref 7721815

Scanned with OKEN Scanner

अधिनियम–2011 के तहत निर्धारित जुर्माना राशि अदा करने का व्यक्तिगत उत्तरदायी होगा।

5. पेंशन स्वीकृत :–

(i) (अ) किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन पेंशन गुणावगुण के आधार पर देय होगी। जिन प्रकरणों में स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी किसी आवेदन पत्र को पेंशन स्वीकृति हेतु उचित नही मानता है उसमें अस्वीकृति का कारण अभिलिखित करते हुये आवेदन अस्वीकृत करना होगा।

(ब) स्वीकृतिकर्ता अधिकारी शिकायत की जांच के दौरान अथवा भौतिक सत्यापन के दौरान अथवा स्वप्रेरणा से जांच के दौरान यह पाता है कि यदि कोई पेंशनर नियमानुसार पेंशन हेतु अपात्र है तो वह पेंशन अपात्रता का कारण अभिलिखित करते हुये पेंशन निरस्तीकरण आदेश प्रारूप कृषक पेंशन–I (K.P.-I) के भाग IV में जारी करेगा। उक्त निरस्तीकरण का इन्द्राज ऑनलाईन पोर्टल पर भी तत्काल प्रभाव से किया जायेगा। यदि कोई पेंशनर, पेंशन निरस्तीरण आदेश से असन्तुष्ट है तो वह कभी भी पुनरीक्षण (Review) के लिए आवेदन कर सकता है।

(स) यदि बैंक खाते की सूचना के गलत अंकन के कारण किसी पेंशनर की पेंशन उसके खाते में जमा नही हो पाती है तो उसे अस्थाई रूप से रोका जाये। उसके बाद वह पेंशनर स्वीकृतिकर्ता अधिकारी अथवा कोषाधिकारी के कार्यालय में जाकर अपने बैंक खाते की सूचना को अपडेट करवा सकता है उसके बाद पुनः उसकी पेंशन प्रारंभ कर दी जावे।

(द) यदि ई–मित्र केन्द्र में भौतिक सत्यापन के दौरान ई–मित्र संचालक ऑनलाईन पोर्टल में कोई भी कारण अंकित करता है जिससे यह संदेह पैदा हो कि पेंशनर अपात्र है तो भी पेंशन अस्थाई तौर से बन्द की जावे व उसके बाद पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी 15 दिवस में जांच कर बहाली अथवा निरस्तीकरण का आदेश गुवावगुण के आधार पर जारी करेगा।

से इन नियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पेंशन स्वीकृति कर्ता अधिकारी द्वारा वसूली भी की जाएगी।

5.2 यदि कोई पेंशनर, पेंशन पोर्टल द्वारा पेंशन अस्वीकृत किए जाने से असंतुष्ट है तो उसके द्वारा कभी भी तत्सम्बन्धी अपील सम्बन्धित जिला कलेक्टर को ऑन–लाइन की जा सकेगी। जिला कलेक्टर द्वारा ऐसी अपील का निस्तारण 15 दिवस में आवश्यक रूप से किया जाएगा। जिला कलेक्टर द्वारा अपील में किए गए निर्णय को आवश्यक समझे जाने पर गुणावगुण के आधार पर पुनरावलोकन (रिव्यू) का अधिकार राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को होगा। राज्य सरकार का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

5.3 **यदि किसी पेंशनर के बैंक के नाम अथवा बैंक खाता संख्या अथवा उसके आई.एफ.एस.सी. (IFSC) कोड में त्रुटि होने के कारण आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पारित पेंशन बिल में बैंक द्वारा पेंशन भुगतान लौटा दिया जाता है, तो पेंशन पोर्टल पर भुगतान वापसी की दशा में ऐसे पेंशनर को पेंशन का भुगतान उस पेंशनर द्वारा राजस्थान जन–आधार पोर्टल पर तत्सम्बन्धी सूचना अद्यतन (Updated) करवाने एवं इस अद्यतन (Updated) सूचना के आधार पर पेंशन पोर्टल पर सूचना स्वतः अद्यतन (Updated) होने के उपरान्त किया जाएगा।**

5.4 राज्य सरकार द्वारा आपवादिक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन, विहित शर्तो को शिथिल करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत की जा सकेगी।

नियम 6 –पेंशन की वैधता

6.1 पेंशनर के जीवित रहने तक,

6.2 पेंशनर के लघु एवं सीमान्त कृषक रहने तक

6.3 परिवार के सदस्य यथा पति/पत्नी, पुत्र/पुत्रवधु या स्वयं का सरकारी सेवा में कार्यरत अथवा उनका पेंशनर न होने तक

6.4 पेंशनर के राजस्थान में निवास करने तक होगी।

6.5 यदि पेंशन की पात्रता BPL है तो ऐसे प्रकरणों में परिवार के BPL रहने तक।

RajKaj Ref
772181

Scanned with OKEN Scanner

(ii) सरकार आपवादिक परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को इन नियमों के अधीन, विहित शर्तो को शिथिल करते हुए सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्वजन कृषक पेंशन स्वीकृत कर सकेगी।

6. पेंशन की वैधता :–

(i) नियमों में वर्णित लघु एवं सीमान्त कृषक की श्रेणी में रहने तक।

7. पेंशन का प्रारम्भ :–

पेंशन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने की तारीख से सम्बन्धित माह की प्रथम तारीख से पूरे माह के लिये संदेय होगी।

8. पेंशन की समाप्ति :–

(i) पेंशन, पेंशनर की मृत्यु की तारीख को समाप्त हो जाएगी। मृत्यु की तारीख तक देय पेंशन की अनाहरित रकम व्यपगत हो जाएगी।

(ii) पेंशनर के राजस्थान के बाहर स्थाई या अस्थाई रूप से प्रवास की दशा में पेंशन साधारणतः समाप्त हो जाएगी। तथापि, कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति हो, पेंशनर के राजस्थान लौटने पर उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की तारीख से पेंशन का पुनः संदाय प्रारम्भ किया जा सकेगा लेकिन उसके राजस्थान से बाहर रहने की कालावधि के लिए प्रोद्भूत पेंशन की बकाया संदेय नहीं होगी।

(iii) लघु एव सीमान्त श्रेणी के कृषक पेंशनर की निर्धारित श्रेणी से अधिक भूमि होने पर अर्थात् कृषक की लघु एव सीमान्त श्रेणी के बाहर होने पर पेंशन बंद कर दी जायेगी।

नियम 7 – पेंशन का प्रारम्भ

7.1 **पेंशन स्वीकृति जारी किए जाने के माह की प्रथम तारीख से संदेय होगी।**

नियम 8 –पेंशन की समाप्ति

8.1.1 पेंशन, पेंशनर की मृत्यु की तारीख को समाप्त हो जाएगी। मृत्यु की तारीख तक देय पेंशन, जो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आहरित नहीं की गई है, व्यपगत हो जाएगी। पेंशनर की मृत्यु उपरांत भुगतान की गई पेंशन राशि की वसूली की गणना पेंशनर की मृत्यु जिस माह में हुई है, उस माह की प्रथम तारीख से की जाएगी।

8.1.2 सामाजिक सुरक्षा पेंशनर की मृत्यु की सूचना समय पर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पेंशनर के मृत्यु की दिनांक तक की आहरित पेंशन राशि जो पेंशनर के बैंक खाते में जमा हो चुकी है, का भुगतान पेंशनर के विधिक उत्तराधिकारी को किया जाएगा तथा **मृत्यु की दिनांक के बाद की जमा पेंशन राशि बैंक द्वारा <u>आहरण एवं वितरण अधिकारी (अतिरिक्त निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर)</u> अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी को लौटा दी जाएगी ताकि उनके द्वारा राजकोष में राशि जमा कराई जा सके।**

8.1.3 पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में पेंशन निरस्तीकरण आदेश संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा जिसमें पेंशनर द्वारा जमा करवाई जाने वाली राशि (यदि कोई है तो) भी अंकित होगी।

8.2 पेंशनर के राजस्थान से बाहर स्थाई या अस्थाई रूप से प्रवास की दशा में पेंशन साधारणतः समाप्त (बन्द) हो जाएगी। पेंशनर के राजस्थान लौटने पर <u>सम्बन्धित स्वीकृतकर्ता अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी)</u> के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऐसे पेंशनर्स का ऑन–लाइन भौतिक सत्यापन के उपरान्त उन पेंशनर्स के भौतिक सत्यापन की तारीख से पेंशन का संदाय

RajKaj Ref. 7721815

Scanned with OKEN Scanner

करने हेतु प्रकरण आहरण–वितरण अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। तदुपरान्त भौतिक सत्यापन की तारीख से पुनः पेंशन का संदाय पुनः प्रारम्भ किया जा सकेगा, लेकिन उसके राजस्थान से बाहर रहने की अवधि के लिए प्रोद्भूत पेंशन की बकाया राशि संदेय नहीं होगी।

8.3.1 यदि किसी जनआधार परिवार के तीन सदस्यों से अधिक द्वारा पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में तीसरे एवं उससे बाद वाले सदस्यों की पेंशन स्वतः स्वीकृत नहीं होकर संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी को प्रदर्शित होगी उनके द्वारा 30 दिवस में जांच कर ऐसे आवेदन पत्रों को सत्यापित अथवा निरस्त करना होगा अन्यथा ऐसे आवेदन पत्र स्वतः सत्यापित हो जाएगें।

8.3.2 तत्पश्चात् संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को 15 दिवस में ऐसे आवेदन पत्रों को स्वीकृत अथवा निरस्त करना होगा अन्यथा ऐसे आवेदन पत्र स्वतः स्वीकृत हो जाएगें।

8.3.3 स्वतः सत्यापित एवं स्वीकृत आवेदन पत्रों के लिए संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी अथवा स्वीकृतिकर्ता अधिकारी जिम्मेदार होगें।

नियम 9 –पेंशन की बकाया का संदाय

9.1 यदि पेंशन की राशि तीन वर्ष से अधिक की अवधि तक आहरित नहीं की जाती है तो पेंशन राशि की कोई बकाया का भुगतान संदेय नहीं होगा तथापि, ऐसे मामलों में सम्बन्धित क्षेत्र का उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी (पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी) पेंशन संदाय आदेश को नवीनीकृत करने के लिये सक्षम होगा।

9.2 ऐसे मामलों में जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि तीन वर्ष तक की अवधि तक आहरित नहीं की जाती है, वहां नियम 11 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, सम्बन्धित जिला कलक्टर की सिफारिश के आधार पर आहरण एवं वितरण अधिकारी (पेंशन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर तीन वर्ष तक की अवधि की बकाया पेंशन राशि के संदाय के आदेश पारित करने के लिये सक्षम होंगे।

9.3 **तीन वर्ष से अधिक की समयावधि का कोई ऐरियर देय नही होगा।**

9. पेंशन की बकाया का संदाय :–

(क) यदि पेंशन की रकम एक वर्ष या इससे अधिक की कालावधि तक आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा आहरित नहीं की जाती है तो कोई बकाया संदेय नहीं होगा तथापि, ऐसे मामलों में पेंशन, सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पेंशन संदाय आदेश को नवीनीकृत करने के लिये सक्षम होगा।

(ख) ऐसे मामलों में जहां पेंशन की रकम एक वर्ष से कम की कालावधि तक आहरित नहीं की जाती है वहां नियम 8 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित प्राधिकारी बकाया के संदाय के आदेश पारित करने के लिये सक्षम होंगे :–

RajKaj Help
7721815

Scanned with OKEN Scanner

(1) यदि पेंशन की रकम 5 मास तक आहरित नहीं की जाये।

(2) यदि पेंशन की रकम 5 मास से अधिक किन्तु 1 वर्ष से कम की कालावधि तक आहरित नहीं की जाये।

10.अपील अधिकारी :– स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी के पेंशन का दावा अस्वीकार करने संबंधी आदेश के विरूद्ध अपील जिला कलक्टर को की जाएगी। अपील स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित होने की तिथि से दो माह के भीतर की जानी चाहिए। तथापि, राज्य सरकार का सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग कलक्टर द्वारा पारित आदेश को गुणावगुण के आधार पर कारण अंकित करते हुए पुनर्विलोकित कर सकेगा।

11. वार्षिक सत्यापन :–

ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पेंशनरों का प्रत्येक वर्ष मार्च में ग्राम सचिवालय व्यवस्था के तहत आयोजित होने वाले कैम्पो में सरपंच एवं पटवारी पंचायतवार/ग्रामवार भौतिक सत्यापन कर हस्ताक्षरयुक्त जीवन प्रमाण पत्र के साथ प्रमाण सूची के रूप में विकास अधिकारी के माध्यम से संबंधित कोषाधिकारी/उप–कोषाधिकारी को भिजवायेंगे। परन्तु पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति, पेंशनर की मृत्यु या अन्य

नियम 10 –अपील अधिकारी

10.1 ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी के द्वारा **पोस्ट ऑडिट के दौरान पेंशन को निरस्त करने पर संबंधित पेंशनर द्वारा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन अपील संबंधित जिला कलेक्टर को की जाएगी। यह अपील पेंशनर द्वारा पेंशन निरस्त होने के 90 दिवस की अवधि में की जा सकती है।** 90 दिवस की अवधि के पश्चात् अपील मान्य नहीं होगी। **जिला कलेक्टर द्वारा ऑनलाइन अपील पर 15 दिवस में निर्णय किया जाएगा।** अपीलीय अधिकारी द्वारा ऐसे पेंशन प्रकरणों के स्वीकृति योग्य होने के निर्णय के उपरांत उन्हें ऑनलाइन स्वीकृत किया जाएगा। इन अपीलार्थी को पेंशन हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

10.2 जिला कलेक्टर द्वारा अपील में किए गए निर्णय को आवश्यक समझे जाने पर गुणावगुण के आधार पर पुनरावलोकन (रिव्यू) का अधिकार राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को होगा। राज्य सरकार का निर्णय अंतिम माना जाएगा। ऑनलाइन अपील खारिज होने की दशा में अपीलार्थी द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा तथा उक्त 90 दिवस की अवधि में अपील नहीं किए जाने पर उस व्यक्ति द्वारा उक्त 90 दिवस पश्चात् पुनः पेंशन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

नियम 11 –वार्षिक सत्यापन

11.1 **सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु जीवन प्रमाण–पत्र की प्रक्रिया के सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों के अतिक्रमण में नई प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है (परिपत्र संख्या एफ.09 (05) (12–II) वार्षिक भौतिक सत्यापन/सान्याअवि/2014–15/ 875 दिनांक 1.11.2022; परिपत्र संख्या एफ.09 (05) (12–II) वार्षिक भौतिक सत्यापन/सान्याअवि/ 2014–15/ 2559–68 दिनांक 21.12.2022 एवं मोबाइल एप्प संबंधी आदेश – एफ.9(05)(14)पेंशन पोर्टल/सान्यअवि/2021–22/710 दिनांक 14. 02.2023) :–**

RajKaj Ref 7721815

1.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष माह 01 नवम्बर

किसी घटना की सूचना जो नियमों के अधीन सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन के संदाय के हक से उसे वंचित करती हो, देने के लिए उत्तरदायी होगा। संदेय की स्थिति में पेंशन भुगतान अधिकारी पेंशनर को स्वयं देखेगा, उसके/उसकी फोटो से मिलान करेगा तथा उसके पेंशन संदाय आदेश में बतलाये गये पहचान चिन्हों के संदर्भ में अपनी संतुष्टि करेगा। उप खण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी द्वारा संधारित किये जाने वाले रजिस्टर कृषक पेंशन–IV (K.P.- IV) में भौतिक सत्यापन का तथ्य अंकित किया जावेगा।

से 31 दिसम्बर तक आवश्यक रूप से करवाना होगा।

11.1.2 यदि किसी पेंशनर की पेंशन प्रथम बार इस अवधि से तीन माह के भीतर स्वीकृत की गई है तो उसका वार्षिक भौतिक सत्यापन आगामी वर्ष 31 दिसम्बर तक आवश्यक रूप से करवाना होगा।

11.1.3 समस्त पेंशनरों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला कलक्टर्स के द्वारा प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया से प्रेस–विज्ञप्ति एवं प्रचार का उपयोग किया जाएगा तथा पेंशनर्स के मोबाईल/फोन नम्बर पर भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में जानकारी एस.एम.एस. के माध्यम से भी प्रेषित की जाएगी।

11.1.4 पेंशनधारक द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु ई–मित्र कियोस्क/राजीव गांधी सेवा केन्द्र/ई–मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप (Finger Print Impression) बायोमैट्रिक्स से करवाया जा सकेगा।

11.1.5 वैकल्पिक रूप से पेंशनर मोबाईल ऐप फेस रिकाग्निेशन के माध्यम से भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा।

11.1.6 उपरोक्त उल्लेखित दोनों प्रक्रियाओं में से किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी कार्यालय में पेंशनर के आधर से जुड़े मोबाईल नम्बर पर ओटीपी (OTP) के माध्यम से पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

11.1.7 उपर्युक्तानुसार वर्णित प्रक्रियाओं में से किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष माह नवम्बर से माह दिसम्बर तक (31 दिसम्बर तक) (दो माह) की अवधि में किया जाएगा।

11.1.8 ऐसे पेंशनर जो अत्याधिक वृद्धावस्था, शारीरिक अस्वस्थता (Physical in Capicity) अथवा जानकारी के अभाव में निर्धारित अवधि में वार्षिक भौतिक

RajKaj Ref 7721815

Scanned with OKEN Scanner

सत्यापन नहीं करवा पाए हों, तो स्वीकृतकर्ता अधिकारी को दायित्व होगा की वार्षिक सत्यापन हेतु उक्त निर्धारित अवधि (दो माह) के पश्चात अगले एक माह में ऐसे पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय सत्यापन अधिकारी (Field Verification officer) के द्वारा मोबाईल के माध्यम से आवश्यक रूप से करवाया जाएगा।

11.1.9 प्रति वर्ष दिसम्बर माह के उपरान्त जिन पेंशनर का भौतिक सत्यापन नहीं होता है उनकी पेंशन राशि का भुगतान रोक दिया जाएगा। अतः क्षेत्रीय भौतिक सत्यापन अधिकारियों (उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी) का दायित्व होगा की वे निर्धारित अवधि में सभी पेंशनर का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करे। किसी भी पेंशनर के विद्यमान होने एवं पात्र होने के उपरान्त भी भौतिक सत्यापन के अभाव में पेंशन राशि का भुगतान रोके जाने की स्थिति में सम्बन्धित भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होंगे ।

11.1.10 उपर्युक्तानुसार भौतिक सत्यापन पश्चात जो पेंशनर पेंशन हेतु पात्र नहीं पाए जाए अथवा जिन पेंशनर की मृत्यु हो गई हो उनके नाम पेंशन स्वीकृति कर्ता अधिकारी द्वारा उनके पेंशन स्वीकृति आदेश को निरस्त किया जाकर पेंशनर्स की ऑनलाईन सूची से हटाया जाएगा, साथ ही पेंशनर के अपात्र रहने की अवधि का यदि पेंशन राशि का भुगतान किया गया है उसकी वसूली कर राजकोष में राशि जमा करवाई जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा की समस्त पात्र पेंशनर्स को निर्बाध रूप से निर्धारित अवधि में पेंशन राशि प्राप्त हो।

11.1.11 **जिन पेंशनर्स की आधार एवं जनाधार संख्या उनकी पेंशन से नहीं जुड़ी हुई है, उनके लिए सभी स्वीकृतकर्ता अधिकारियों के द्वारा किसी भी पेंशनर्स की आधार संख्या को जनआधार पोर्टल के माध्यम से उनकी पेंशन डाटा में**

RajKaj Ref 7721815

12 पेंशनर की मृत्यु की सूचना :– पेंशनर की मृत्यु हो जाने की स्थिति में पटवारी/ ग्राम पंचायत/नगरपालिका प्राधिकारी, अथवा पोस्ट ऑफिस/बैंक द्वारा सम्बन्धित कोषाधिकारी /उप–कोषाधिकारी को रिपोर्ट भिजवाई जायेगी, जिसमें पेंशनर का नाम, पता मृत्यु की दिनांक आदि की सूचना प्राप्त होने पर कोषाधिकारी/उप–कोषाधिकारी पंजिका कृषक पेंशन– IV (K.P.-IV) में लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा कि "श्री/श्रीमती———— पिता/पति श्री————————की तारीख———————— को मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त सूचना के आधार पर भुगतान बन्द किया गया"।

Scanned with OKEN Scanner

कोषाधिकारी/उप–कोषाधिकारी पेंशन बन्द करने के प्रत्येक मामले की सूचना स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा।

13. कलेक्टर और कोषाधिकारी द्वारा निरीक्षण :–

(i) जिला कोषागार का निरीक्षण करते समय जिला कलेक्टर (जिला पेंशन एवं संवितरण अधिकारी) सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन रजिस्टरों का वार्षिक निरीक्षण तथा पेंशन भुगतान की नमूना जांच करेगा।

(ii) उप–कोषागार का निरीक्षण करते समय कोषाधिकारी सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन रजिस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करेगा और अपने आपका समाधान करेगा कि उसके द्वारा स्वीकृत किये गये सभी मामले उप–कोषागार के रजिस्टरों मे प्रविष्ट कर दिए गए है और भुगतान नियमित रूप से व यथा समय किए जाते है। वह अपने आपका इससे भी समाधान करेगा कि उप–कोषागार के रजिस्टरों में सुधार संबंधी प्रविष्टियां जैसे पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु या उसके पते में परिवर्तन, अविलम्ब की जाती है। निरीक्षण के समय पेंशन भुगतान की नमूना जांच भी करनी होगी।

14. सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन स्वीकार करने पर वर्जन (रोक) :– उन व्यक्तियों को, जिनको कि इन नियमों के अधीन सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन स्वीकृत की गई है, राज्य की संचित निधि में से जैसे देवस्थान निधि, मंत्रियों आदि के स्वविवेकाधीन रखे गये अनुदान से, किसी प्रकार की पेंशन या निर्वाह भत्ता या अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की जाएगी। तथापि, इन नियमों के द्वारा शासित होने वाले व्यक्ति यदि देवस्थान निधि या अन्य स्त्रोत से पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहे हों, तो **वह वर्णित पेंशन या सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन में से जो भी लाभदायक हो,**

अपडेट किया जाएगा।

नियम 12 –पेंशनर की मृत्यु की सूचना

12.1 **सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल को जनआधार पोर्टल एवं पहचान पोर्टल से जोडकर पेंशनर की मृत्यु होने की सूचना ऑनलाइन पेंशन पोर्टल पर अद्यतन की जाएगी, तथा ऐसे पेंशनर की पेंशन को अद्यतन सूचना के आधार पर पेंशन पोर्टल द्वारा स्वतः ही निरस्त किया जाएगा।**

12.2 ऐसे पेंशनर जिनका आधार/जनआधार संख्या पहचान पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, की मृत्यु हो जाने की स्थिति में पटवारी/ग्राम पंचायत/नगर निकाय के प्राधिकारी अथवा पोस्ट ऑफिस/बैंक सम्बन्धित **पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी** को रिपोर्ट भिजवाएगे, जिसमें पेंशनर का नाम, पता, **पीपीओ संख्या** मृत्यु की दिनांक आदि की सूचना हो। यह सूचना प्राप्त होने पर **स्वीकृतकर्ता अधिकारी** द्वारा पोर्टल के माध्यम से पेंशन को ऑन–लाइन **निरस्त** किया जाएगा।

नियम 13 –जिला कलेक्टर द्वारा निरीक्षण

13.1 जिले का निरीक्षण करते समय जिला कलेक्टर नियमित रूप से अपने जिले के सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान की नमूना जांच करेगें। पेंशन भुगतान से संबंधित Tracking Reports एवं Exception Reportsकी प्रभावी मोनिटरिंग करेगें। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उनके द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई कर निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सूचित किया जाएगा।

13.2 पेंशन स्वीकृति कर्ता अधिकारी उनके क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान की नमूना जांच करेगें। पेंशन भुगतान से संबंधित Tracking Reports एवं Exception Reports की प्रभावी मोनिटरिंग करेगें। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उनके द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई कर निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सूचित किया जाएगा।

13.3 **जिले मे पदस्थापित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी सामाजिक सुरक्षा**

RajKa...
7721815

Scanned with OKEN Scanner

पाने का अधिकारी होगा।

अध्याय – 4
सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान की प्रक्रिया

नियम 15.

(i) कोषाधिकारी और उप–कोषाधिकारी पेंशन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी होंगे।

(ii) कोषाधिकारी या उप–कोषाधिकारी यथा स्थिति पेंशनर को पेंशन, मनीऑर्डर द्वारा या बैंक/पोस्ट ऑफिस बचत खाते/सरकार द्वारा विहित अन्य किसी उपयुक्त माध्यम से भेजी जाएगी। मनीऑर्डर का कमीशन पेंशन की रकम में से नहीं काटा जाएगा।

(iii) स्वीकृत प्रकरणों में पेंशन सम्बन्धित माह के समाप्त होने के पश्चात पहली तारीख को देय होगी। मनीऑर्डर से पेंशन भुगतान के मामलों में मनीऑर्डर रसीद यथासंभव प्राप्त कर रखी जायेगी। मनीऑर्डर लौट आने पर पेंशन का भुगतान पेंशनर के व्यक्तिगत रूप से ऑनलाईन स्वीकृति की फोटोयुक्त प्रति लेकर सम्बन्धित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के सक्षम उपस्थित होने पर किया जा सकेगा।

(iv) अगर पेंशनर शारीरिक व मानसिक परिस्थितिवश पेंशन स्वयं प्राप्त करने में असमर्थ है तो पेंशन का भुगतान उसके संरक्षक को किया जायेगा। संरक्षक की नियुक्ति सम्बन्धित जिला कलेक्टर करेंगे। संरक्षक की नियुक्ति के लिये पेंशनर को प्रार्थना पत्र पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित जिला कलेक्टर को देना होगा। पेंशन स्वीकृति से पूर्व उस अभिभावक द्वारा विहित प्रारूप कृषक पेंशन–VIII (K.P.- VIII) में एक बंध–पत्र निष्पादित

पेंशन भुगतान की नमूना जांच करेगें। पेंशन भुगतान से संबंधित Tracking Reports एवं Exception Reportsकी प्रभावी मोनिटरिंग करेगें। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उनके द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई कर निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सूचित किया जाएगा।

नियम 14 –सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकार करने पर वर्जन (रोक):–

14.1 उन व्यक्तियों को जिनको कि इन नियमों के अधीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत की गई है, राज्य की संचित निधि में से जैसे देवस्थान निधि, मंत्रियों आदि के स्वविवेकाधीन रखे गये अनुदान से, किसी प्रकार की पेंशन या निर्वाह भत्ता या अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की जाएगी। तथापि, इन नियमों के द्वारा शासित होने वाले व्यक्ति यदि देवस्थान निधि या अन्य स्रोत से पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहे हों, तो वे उन्हें पूर्ववत प्राप्त करते रहेंगे।

अध्याय –5
सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान की प्रक्रिया
नियम 15– भुगतान की प्रक्रिया

15.1 E-Schemes हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में किए गए संशोधित प्रावधान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान हेतु भी प्रभावी होगें।

15.1.1 निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर में पदस्थापित अतिरिक्त निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय) अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर के अन्य प्राधिकारी, पेंशन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी होंगे (आदेश क्रमांक एफ.9(5)( ) सासुपे/सान्याअवि/2017–18/पार्ट फाइल/ 439–546 दिनांक 30.4.2020)।

15.2 पेंशन भुगतान हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पेंशनर को पेंशन, मनीऑर्डर या बैंक/पोस्ट ऑफिस बचत खाते/सरकार द्वारा विहित अन्य किसी उपयुक्त माध्यम से भेजी जाएगी। मनीऑर्डर का कमीशन पेंशन की रकम में से नहीं काटा जाएगा।

RajKaj Ref 7721815

Scanned with OKEN Scanner

किया जाएगा कि वह आवेदक का भरण–पोषण करता रहेगा। पेंशन की स्वीकृति के पूर्व संरक्षक को निम्नलिखित इकरारनामा भरकर देना होगा :–

"मै नाम .... पुत्र ....निवासी .... जिला .... स्वीकार करता हूँ कि ....(नाम पेंशन पाने वाले का) को जो राज्य सरकार से पेंशन स्वीकृत होगी मैं उसका पालन पोषण करूँगा।"

दिनांक.. **हस्ताक्षर संरक्षक**

(v) नियमित पेंशन राशि का भुगतान कोषाधिकारी और उप–कोषाधिकारी यथासंभव प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक करेगें तथा पेंशन का प्रथम भुगतान ऑनलाईन स्वीकृति प्राप्त होने के 4 कार्य दिवस में किया जायेगा।

(vi) यदि पेंशनर निरक्षर हो तो किसी साक्षर साक्षी की उपस्थिति में जो मनीऑर्डर रसीद पर उसके हस्ताक्षरों को, प्रमाणित करेगा, मनीऑर्डर की रसीद पर पेंशनर के अंगूठे के निशान लगवाए जाएंगे।

(vii) पेंशन के संदाय, लेखा आदि (हिसाब–किताब) के रखे जाने के बारे में विस्तृत अनुदेश इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में अन्तर्विष्ट है।

15.3.1 जिस माह में पेंशन स्वीकृत की जाती है, पेंशन स्वीकृति जारी किए जाने के माह की प्रथम तारीख से संदेय होगी।

15.3.2 मनीऑर्डर लौट आने पर पेंशन का भुगतान मनीआर्डर के माध्यम से पेंशनर द्वारा पेंशन स्वीकृति की प्रति लेकर संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर किया जा सकेगा।

15.3.3 इसी प्रकार किसी पेंशनर के बैंक खाते की संख्या गलत अंकित होने अथवा किसी अन्य तकनीकी कारणों से पेंशन राशि उसके बैंक खाते में जमा नहीं होने पर उस बैंक द्वारा पेंशन राशि को चैक द्वारा निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता विभाग, जयपुर को लौटाए जाने पर पेंशनर द्वारा अपने जनआधार विवरण में बैंक खाता अद्यतन करवाने पर पेंशन में भी संबंधित का बैंक खाता स्वतः अद्यतन हो जाएगा, तथा बकाया सहित पेंशन भुगतान किया जा सकेगा।

15.4 अगर पेंशनर शारीरिक व मानसिक परिस्थितिवश पेंशन स्वयं प्राप्त करने में असमर्थ है तो पेंशन का भुगतान उसके संरक्षक को किया जागा। संरक्षक की नियुक्ति सम्बन्धित जिला कलेक्टर करेंगे। संरक्षक की नियुक्ति के लिये पेंशनर को प्रार्थना पत्र पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित जिला कलेक्टर को देना होगा। पेंशन स्वीकृति से पूर्व उस अभिभावक द्वारा एक बंध–पत्र निष्पादित किया जाएगा कि वह आवेदक का भरण–पोषण करता रहेगा। पेंशन की स्वीकृति के पूर्व संरक्षक को निम्नलिखित इकरारनामा भरकर देना होगा :–

"मै नाम .... पुत्र ....निवासी .... जिला .... स्वीकार करता हूँ कि ....(नाम पेंशन पाने वाले का) को जो राज्य सरकार से पेंशन स्वीकृत होगी, उस राशि से मैं उसका पालन पोषण करूँगा।"

दिनांक .... **हस्ताक्षर संरक्षक**

15.5.1 नियमित पेंशन राशि का भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह किया जाएगा।

15.5.2 जिन स्थानों पर अभी भी बिजनैस–कॉरेसपोंडेण्ट्स (बीसी) के माध्यम से 2–3 किलोमीटर में पेंशनर को बैंकिंग सुविधा का कवरेज उपलब्ध नहीं है वहां

RajKaj Ref
772

Scanned with OKEN Scanner

जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी (DLBC) मे विचार–विमर्श कर बिजनैस–कॉरेसपोंडेण्ट्स (बीसी) की नियुक्ति करवाई जाएगी।

15.5.3 जिला कलेक्टर्स द्वारा प्रतिमाह प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर निर्धारित तारीख पर संबंधित बैंको के प्रतिनिधि / बिजनैस–कॉरेसपोंडेण्ट्स (बीसी) की उपस्थिति सुनिश्चित करवाई जाकर पेंशन आहरण शिविरों का आयोजन किया जाएगा जिससे पेंशनर्स अपनी सुविधानुसार अपनी पेंशन राशि को बैंक खाते से आहरित कर सकें।

15.6 यदि पेंशनर निरक्षर हो तो किसी साक्षर साक्षी की उपस्थिति में जो मनीऑर्डर रसीद पर उसके हस्ताक्षरों को, प्रमाणित करेगा, मनीऑर्डर की रसीद पर पेंशनर के अंगूठे के निशान लगवाए जाएंगे।

15.7 पेंशन के संदाय, लेखा आदि (हिसाब–किताब) के रखे जाने के बारे में विस्तृत अनुदेश इन नियमों के परिशिष्ट–"क" के अन्तर्विष्ट है।

नियम 16 पेंशन की वसूली :–

16. राजस्थान विशेष योग्यजन पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन योजनाओ मे लाभार्थियों का हुए अधिक / अनियमित पेंशन राशि के भुगतान तथा अपात्र व्यक्तियों को हुए पेंशन भुगतान की वसूली के संबंध में निम्न प्रावधान निर्धारित किए जाते है:–

16.1 स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा पेंशनधारी को हुए अधिक / अनियमित भुगतान की गणना कर वसूली योग्य राशि तय करेगें।

16.2 जिन व्यक्तियों को गलत / अपात्र / अनियमित / अधिक रूप से पेंशन राशि का भुगतान किया गया है, उनसे उस सम्पूर्ण राशि की 18% ब्याज सहित वसूली स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा की जाकर उक्त राशि आहरण एवं वितरण अधिकारी (अतिरिक्त निदेशक (पेंशन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर) को लौटाई जाएगी।

16.3 यदि संबंधित पेंशनधारी अभी भी योजना के नियमों के अन्तर्गत पात्र है, तो उसे तब तक पेंशन भुगतान रोक दिया जावे जब तक उसे दी गई अनियमित राशि वसूल नहीं की जाती।

16.4 यदि पेंशनधारी वर्तमान में पेंशन योजना नियमों के तहत पेंशन हेतु पात्र नहीं है एवं वसूली योग्य राशि जमा नही कराने पर उस पर नियमानुसार पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

RajKaj
7721815

परिशिष्ट 'क'	**परिशिष्ट 'क'**
1. सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन लेखा संख्या का आवंटन :–	**1. सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन लेखा संख्या का आवंटन :–**
(i) ये अनुदेश, लेखा प्रकिया निराश्रितों को सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन के भुगतान से संबंधित है, जिनका कोषाधिकारी और उप–कोषाधिकारी को अनुसरण करना चाहिये।	(i) ये अनुदेश, लेखा प्रक्रिया निराश्रितों को सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन के भुगतान से संबंधित है, जिनका उपखण्ड अधिकारी/प्राधिकृत कोषाधिकारी को अनुसरण करना चाहिए।
(ii) किसी पेंशनर की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् पेंशन स्वीकृति अधिकारी एवं ऑनलाईन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी रजिस्टर कृषक पेंशन– IV (K.P.- IV) में पेंशनर की विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा तथा राज्य एवं जिले के नाम के संक्षिप्ताक्षर के पहले मार्गदर्शी (गाइड) स्वरूप लघु एवं सीमान्त वृद्वजन कृषक पेंशन लेखा संख्या लगाते हुए "एस एण्ड एम ओ.ए.पी." मार्गदर्शी अक्षर अंकित करेगा।	(ii) किसी पेंशनर की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् पेंशन स्वीकृति अधिकारी एवं ऑन–लाइन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद आहरण एवं वितरण अधिकारी रजिस्टर कृषक पेंशन– IV (K.P.- IV) में पेंशनर की विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा तथा राज्य एवं जिले के नाम के संक्षिप्ताक्षर के पहले मार्गदर्शी (गाइड) स्वरूप लघु एवं सीमान्त वृद्वजन कृषक पेंशन लेखा संख्या लगाते हुए "एस एण्ड एम ओ.ए.पी." मार्गदर्शी अक्षर अंकित करेगा।
(iii) कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन संवितरण का अभिलेख रजिस्टर कृषक पेंशन–VII (K.P.-VII) में संधारित किया जायेगा।	(iii) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पेंशन संवितरण का अभिलेख रजिस्टर कृषक पेंशन–VII (K.P.-VII) में संधारित किया जाएगा।
2. मनीआर्डर या बैंक/पोस्ट आफिस बचत खाते द्वारा पेंशन का भुगतान :–	**2. मनीआर्डर या बैंक/पोस्ट आफिस बचत खाते द्वारा पेंशन का भुगतान :–**
(i) पेंशन का भुगतान मनीआर्डर या बैंक बचत खाते/पोस्ट आफिस के बचत खाते/ आधार कार्ड आधारित भुगतान अथवा सरकार द्वारा विहित किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से किया जायेगा और यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पेंशनों की स्वीकृति इस कार्य हेतु तैयार किये गये सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन जारी की जाकर यथासम्भव भुगतान बैंक/पोस्ट आफिस के बचत खाते के माध्यम से ही किया जावे।	(i) पेंशन का भुगतान मनीआर्डर या बैंक बचत खाते/पोस्ट आफिस के बचत खाते/ आधार कार्ड आधारित भुगतान अथवा सरकार द्वारा विहित किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से किया जाएगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पेंशनों की स्वीकृति इस कार्य हेतु तैयार किए गए सॉफ्टवेयर पर ऑन–लाइन जारी की जाकर यथासम्भव भुगतान बैंक/पोस्ट आफिस के बचत खाते के माध्यम से ही किया जावे।
(ii) जहां पर लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन का भुगतान मनीऑर्डर द्वारा किया जाना हो, प्रत्येक पेंशनर के लिए मनीऑर्डर फार्म अलग से भरा जाएगा, और	(ii) जहां पर लघु एवं सीमान्त कृषक पेंशन का

Raj Kaj Ref 7721815

Scanned with OKEN Scanner

उस पर लाल स्याही में **'राजस्थान लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक पेंशन योजना'** की रबर सील लगाई जाएगी। इसी प्रकार से मनीऑर्डर पावती कूपन पर भी लाल स्याही से **'राजस्थान लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक पेंशन योजना'** की रबर सील लगाई जाएगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि मनीऑर्डर फार्म में लिखा गया पता सही है। मनीऑर्डर रसीद के प्राप्त होने पर कोषाधिकारी/उप–कोषाधिकारी के लघु हस्ताक्षरों सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के रजिस्टर रजिस्टर कृषक पेंशन–V (K.P.-V) के समुचित स्तम्भ में प्रत्येक भुगतान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के आदेश की प्रविष्टि की जाएगी।

(iii) (क) कोषाधिकारी/उप–कोषाधिकारी मनीऑर्डर द्वारा भेजी गयी पेंशन के लेखे के यथोचित रख–रखाव के लिये उत्तरदायी होंगे। वे समस्त प्रेषणो के लिये की गई प्राप्तिकर्ताओं की अभिस्वीकृतियों को देखेंगे और प्राप्ति के पश्चात् उनको क्रम से व्यवस्थित करेंगे, उन पर निरस्त करने की सील लगवायेंगे और रजिस्टर कृषक पेंशन–V (K.P.-V) में अभिलिखित करेंगे। यदि मनीआर्डर की अभिस्वीकृति रसीद 30 दिन तक भी प्राप्त नहीं होती है या पेंशन के भुगतान न होने की शिकायत प्राप्त होती है तो वह डाक प्राधिकारियों और अपने अधीनस्थों के माध्यम से इसकी जांच कराएगा।

कपटपूर्ण भुगतान के मामले की जांच की जाएगी और उसकी रिपोर्ट कलेक्टर को की जाएगी। भुगतान नही हुए या डाक प्राधिकारियों द्वारा लौटाए गए मनीऑर्डरों की, रजिस्टर कृषक पेंशन–IX (K.P.- IX) में, प्रविष्टि की जाएगी। अवितरित राशि मास के संबंधित लेखा शीर्ष में माइनस डेबिट से जमा करवाई जायेगी तथा उतनी ही राशि का प्रावधान सम्बन्धित मद में किया जाकर भुगतान किया जायेगा। अवितरित रकम का पश्चात्वर्ती भुगतान भली प्रकार जांच और सत्यापन के पश्चात् किया जाना चाहिए और रजिस्टर कृषक पेंशन– IX (K.P.- IX) में आवश्यक प्रविष्टि कर दी जानी चाहिए।

भुगतान मनीऑर्डर द्वारा किया जाना हो, प्रत्येक पेंशनर के लिए मनीऑर्डर फार्म अलग से भरा जाएगा, और उस पर लाल स्याही में **'राजस्थान लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक पेंशन योजना'** की रबर सील लगाई जाएगी। इसी प्रकार से मनीऑर्डर पावती कूपन पर भी लाल स्याही से **'राजस्थान लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक पेंशन योजना'** की रबर सील लगाई जाएगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि मनीऑर्डर फार्म में लिखा गया पता सही है। मनीऑर्डर रसीद के प्राप्त होने पर प्राधिकृत कोषाधिकारी के लघु हस्ताक्षरों सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के रजिस्टर कृषक पेंशन–V (K.P.-V) के समुचित स्तम्भ में प्रत्येक भुगतान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के आदेश की प्रविष्टि की जाएगी।

(iii) (क) प्राधिकृत कोषाधिकारी मनीऑर्डर द्वारा भेजी गई पेंशन राशि के लेखों के यथोचित रख–रखाव के लिये उत्तरदाई होंगे। वे समस्त प्रेषणों के लिए की गई प्राप्तिकर्ताओं की अभिस्वीकृतियों को देखेंगे और प्राप्ति के पश्चात् उनको क्रम से व्यवस्थित करेंगे, उन पर निरस्त करने की सील लगवाएगे और रजिस्टर कृषक पेंशन–V (K.P.-V) में अभिलिखित करेंगे। यदि मनीआर्डर की अभिस्वीकृति रसीद 30 दिन तक भी प्राप्त नहीं होती है या पेंशन के भुगतान न होने की शिकायत प्राप्त होती है तो वह डाक प्राधिकारियों और अपने अधीनस्थों के माध्यम से इसकी जांच कराएगें।

साथ ही, कपटपूर्ण भुगतान के मामलों में संबंधित जिला कलेक्टर उस जिले के पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा जिला कलेक्टर द्वारा अन्य नामित प्राधिकारी के माध्यम से विस्तृत जांच करवाई जाएगी। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रकरण की अविलम्ब जांच की जाकर जांच रिपोर्ट संबंधित जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी तथा रिपोर्ट की एक प्रति निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित की जाएगी।

जांच के दौरान पेंशन योजना के लाभार्थियों को अधिक/अनियमित/दोहरा भुगतान पाए जाने की स्थिति में ऐसे भुगतान की समस्त राशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित संबंधित लाभार्थियों से वसूल की जाएगी।

RajKaj Ref 7721815 डाक प्राधिकारियों द्वारा पेंशन की भुगतान

Scanned with OKEN Scanner

(ख) कोषाधिकारी/उप–कोषाधिकारी, कोषागार में मासिक लेखे की संबंधित अनुसूची के साथ या तो निम्नलिखित प्रमाण–पत्र यथास्थिति, सलंग्न या अभिलिखित करेगा :

"प्रमाणित किया जाता है कि सभी मामलों में गत मास के मनीआर्डरों की अभिस्वीकृतियां प्राप्त हो गई है और अवितरित लौटाए गए मनीआर्डरों की रकम संबधित लेखा शीर्ष में माइनस–डेबिट द्वारा कोषागार में वापिस प्रेषित कर दी गई है।"

(ग) मनीआर्डर के कमीशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के कारण व्यय सम्बन्धित पेंशन के लेखा शीर्षक पर भारित होगा।

(घ) कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी प्रतिमाह लौटकर आने वाले मनीऑर्डरों के लेखों का संधारण रजिस्टर कृषक पेंशन–VI (K.P.-VI) "मनीऑर्डर वापसी रजिस्टर" में करेंगे।

3. पेंशन के भुगतान के लिए बिलों द्वारा धन का आहरण

कोषागार/उपकोषागार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पेंशन का भुगतान चाहने वाले पेंशनरों को नकद में पेंशन के भुगतान हेतु अग्रिम आहरण के लिए उप–कोषाधिकारी/कोषाधिकारी संक्षिप्त बिल (एब्स्ट्रक्ट कॉन्टीजेन्ट बिल) के द्वारा रूपये आहरित करेगा।

4. पेंशन भुगतान आदेश का अन्तरण: :–

जब प्राप्तकर्ता द्वारा पते में परिवर्तन की सूचना दी जाए तो उप–कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा

नहीं हुई राशि से संबंधित मनीऑर्डरों की राशि को लौटाए जाने एवं बैंक शाखाओं द्वारा भुगतान नहीं हुई राशि से संबंधित बैंकर्स चैक के माध्यम से प्राधिकृत कोषाधिकारी को लौटाए जाने पर उनके द्वारा रजिस्टर कृषक पेंशन– IX (K.P.- IX) में प्रविष्टि की जाएगी। अवितरित राशि मास के संबंधित लेखा शीर्ष में माइनस डेबिट जमा करवाई जाएगी तथा उतनी ही राशि का प्रावधान सम्बन्धित मद में किया जाकर भुगतान किया जाएगा। अवितरित रकम का पश्चात्वर्ती भुगतान भली प्रकार जांच और सत्यापन के पश्चात् किया जाना चाहिए और रजिस्टर कृषक पेंशन– IX (K.P.- IX) में आवश्यक प्रविष्टि कर दी जानी चाहिए।

(ख) प्राधिकृत कोषाधिकारी, कोषागार में मासिक लेखे की संबंधित अनुसूची के साथ या तो निम्नलिखित प्रमाण–पत्र यथास्थिति, सलंग्न या अभिलिखित करेगा :

"प्रमाणित किया जाता है कि सभी मामलों में गत मास के मनीआर्डरों की अभिस्वीकृतियां प्राप्त हो गई है और अवितरित लौटाए गए मनीआर्डरों की रकम संबधित लेखा शीर्ष में माइनस–डेबिट द्वारा कोषागार में वापिस प्रेषित कर दी गई है।"

(ग) मनीआर्डर के कमीशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के कारण व्यय सम्बन्धित पेंशन के लेखा शीर्षक पर भारित होगा।

(घ) कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी प्रतिमाह लौटकर आने वाले मनीऑर्डरों के लेखों का संधारण रजिस्टर कृषक पेंशन–VI (K.P.-VI) "मनीऑर्डर वापसी रजिस्टर" में करेंगे।

3. पेंशन के भुगतान के लिए बिलों द्वारा धन का आहरण :–

विलोपित

4. पेंशन भुगतान आदेश का अन्तरण: :–

Scanned with OKEN Scanner

निम्नलिखित प्रकिया अपनाई जाएगी :–

(i) यदि नया पता उसी तहसील में हो तो उप–कोषाधिकारी रजिस्टर कृषक पेंशन–IV (K.P.- IV) के समुचित स्तम्भ में संशोधन करेगा और कोषाधिकारी और स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को उनके द्वारा आवश्यक सुधार के लिए नया पता सूचित करेगा। प्रत्येक ऐसे अवसर पर उप–कोषाधिकारी निराश्रित के अस्तित्व में बने रहने को सत्यापित करने और यह देखने के लिए कि क्या उसका लगातार पेंशन दिए जाने या नहीं दिए जाने की परिस्थितियां निर्धारित है, आवश्यक कदम उठाएगा।

(ii) यदि नया पता उसी जिले की किसी अन्य तहसील में हो तो उप–कोषाधिकारी जिले के कोषाधिकारी और स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को सूचित करते हुए रजिस्टर कृषक पेंशन–IV (K.P.- IV) में लाल स्याही से इस आशय की एक प्रविष्टि करेगा कि पेंशन भुगतान आदेश का अन्तरण सम्बन्धित उप–कोषाधिकारी को किया गया। वह उप–कोषाधिकारी, जिसे पेंशन भुगतान आदेश का अन्तरण किया गया है, अपने अधिकार क्षेत्र में पेंशनर के अस्तित्व में बने रहने और लगातार पेंशन दिए जाने की परिस्थतियों के अभिनिश्चित करने के पश्चात् पेंशन का भुगतान प्रारम्भ करेगा।

(iii) उप–कोषागार से जिला कोषागार में और जिला कोषागार से उप–कोषागार में पेंशन भुगतान आदेश के अन्तरण के मामले में पैरा (ii) में अधिकथित प्रकिया अपनाई जानी चाहिए।

(iv) यदि पेंशनर अपने निवास के जिले से भिन्न कोषागार या उप कोषागार में पेंशन का भुगतान चाहे तो उस दशा में संबंधित उप–कोषाधिकारी अपने जिले के कोषाधिकारी के पास पेंशन भुगतान आदेश को भेजेगा जो कि राज्य के अन्य जिले के कोषाधिकारी को, जिससे कि वह पेंशन प्राप्त करना चाहे, उसके पेंशन संबंधी दस्तावेज भेजने की व्यवस्था करेगा। कोषाधिकारी/उप–कोषाधिकारी संबंधित रजिस्टरों में इस आशय का नोट लाल स्याही से लगाएगा। नया कोषाधिकारी नये पेंशन भुगतान आदेश की संख्या का आवंटन करेगा और इसके पश्चात् उप–कोषाधिकारी को, अपने क्षेत्र में पेंशनर का

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशनर्स द्वारा पत्ता में परिवर्तन किए जाने पर निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:–

(i) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशनर्स को निकटतम ई–मित्र कियोस्क/राजीव गांधी सेवा केन्द्र के माध्यम से पेंशन भुगतान आदेश का अन्तरण अपने निवास स्थान के नवीन पते पर किए जाने के लिए उसका विवरण प्रथम स्तर पर राजस्थान जन आधार पोर्टल पर पूर्व में दर्ज विवरण में अद्यतन (Update) कराया जाएगा। तत्पश्चात् राजस्थान जन आधार विवरण के आधार पर Rajssp पोर्टल पर डेटा स्वतः अद्यतन (Update) हो जाएगा।

(ii) ई–मित्र कियोस्क/राजीव गांधी सेवा केन्द्र द्वारा पेंशनर्स के निवास स्थान का पता परिवर्तन करने के पश्चात् उक्त आवेदन–पत्र को पोर्टल के माध्यम से संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑन–लाइन अग्रेषित किया जाएगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा निवास स्थान की जांच एवं सत्यापन की कार्रवाई कर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को ऐसे पेंशनर के नवीन पते का विवरण ऑन–लाइन अग्रेषित किया जाएगा।

(iii) पेंशनर के निवास स्थान के परिवर्तन की सूचना उसे उसके रजिस्टर्ड मोबइल नंबर पर एसएमएस से भिजवाई जाएगी।

विलोपित

RajKaj Ref 7721815

Scanned with OKEN Scanner

अस्तित्व में बने रहना और पेंशन स्वीकृति की परिस्थितियां बनी रहना अभिनिश्चित करने के पश्चात् पेंशन के भुगतान की व्यवस्था करने के लिए पेंशन भुगतान आदेश भेजेगा।	

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक :–एफ.9(05)(12–III)सासुपें/पेंशन नियम/सान्याअवि/2018–19/8433-41 जयपुर दिनांक :– 05.06.24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर को अपने अधीनस्थ संबंधित विकास अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
4. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त (समस्त)/जिला कलक्टर (समस्त) को अपने अधीनस्थ संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित जिला कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारीयों को सूचित करने हेतु।
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (आईटी), एनआईसी, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (आई टी), कप्यूटर शाखा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर को विभागीय वैबसाईट पर अद्यतन करवाने हेतु।
10. समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
11. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

RajKaj Ref
7721815

Document certified by GHANENDRA BHAN CHATURVEDI <STOICJPR@YAHOO.CO.IN>.

Digitally Signed by
Ghanendra Bhan Chaturvedi
Designation : Director
Date :04-06-2024 03:10:22

Scanned with OKEN Scanner